



सत्यमेव जयते

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



लोकहितार्थं सत्यमिच्छा
Dedicated to Truth in Public Interest

P19/IV/DRSSA/99

04.01.2023

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Revised rate of Dearness Relief @ 33% (7th Pay Scale) and @201% (6th Pay Scale) to pensioners/family pensioners of Chhattisgarh State Government w.e.f. 01.10.2022 - reg.

Ref: 1. SSA No. P.A/Chhattisgarh Relief Order/650 dated 21.12.2022 received from the Principal Accountant General (A&E), Chhattisgarh, Raipur.
2. G.O. No. 771/F 2013-04-00416/Fin/Rule/4 dated 15.11.2022, Chhattisgarh, Finance Department, Mahanadi Bhavan, Nava Raipur, Atal Nagar.

I am to enclose herewith the copy of Special Seal Authority received from the office of the Principal Accountant General (A&E), Chhattisgarh, regarding revised rate of Dearness Relief @ 33% (7th Pay Scale) and @201% (6th Pay Commission) to pensioners/family pensioners of Chhattisgarh State Government w.e.f. 01.10.2022. The same is being placed on the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension - download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)
Chhattisgarh, Raipur

-For Information

Sr. Accounts Officer

P19/IV/DR/SSB/99
02/01/2022

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 650
प्रति, P19

0256296
28/12/2022

दिनांक 21/12/2022

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद	500463
3.	o/o the Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रान्च, आडिट भवन नवरंगपुरा अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.)कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनन्थपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरीन लाईन्स, मुंबई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- II महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलाँग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिज़ोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराती पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018
25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराखण्ड, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल आडिट भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ	226010

DR SSB

28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता	700001
29.	कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली	110021
30.	डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पनजी, गोवा	403101
31.	डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी	605001
32.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तेलगांवा, हैदराबाद	500004
33.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, त्रिकूट-1। भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066
34.	महालेखाकार (लेखा एवं हक) -द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, प्रयागराज	211001

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंधी आदेश।
संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 771/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 15.11.2022

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबंधित आदेश छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की वेबसाइट WWW.cgfinance.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

संलग्न: संदर्भित आदेश की प्रति।

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/
प्रतिलिपि:

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 805/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 30.11.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

